



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

रोवर्स/रेंजर्स



समन्वयक-डॉ० अशोक कुमार सिंह (9415384842)

पत्रांक : जे0एन0सी0यू0/रो0रे0/06/स/2018-19

दिनांक : 25.10.2019

कार्यवृत्त

विश्वविद्यालयीय रोवर्स/रेंजर्स की बैठक माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2019 को कुँवर सिंह पी0जी0 कॉलेज, बलिया में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्नलिखित निर्णय किये गये -

1. शासन की मंशा के अनुसार प्रत्येक महाविद्यालय में न्यूनतम एक रोवर एवं एक रेंजर्स दल, (महिला महाविद्यालयों में एक रेंजर दल) अनिवार्य रूप से गठित किया जाय तथा इसका पंजीकरण/नवीनीकरण अनिवार्यतः 30प्र0 भारत स्काउट एवं गाइड संस्था से करा लिया जाय। संस्था के सचिव ने अवगत कराया है कि अभी तक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मात्र 29 महाविद्यालयों ने संस्था के साथ पंजीकरण कराया है। उनमें से केवल 11 महाविद्यालयों का अद्यतन नवीनीकरण हुआ है। माननीय कुलपति जी ने इस स्थिति को चिंतनीय बताया। अतः यह निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है यथाशीघ्र अपने यहाँ दल का गठन कर पंजीकरण करा लें तथा जिनका पंजीकरण पहले से है, अपना नवीनीकरण अनिवार्यतः करा लें। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर्स दल का गठन तथा पंजीकरण/नवीनीकरण अनिवार्य है। अतः सभी महाविद्यालय प्रक्रिया पूर्ण कर विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र अवगत करा दें।

2. सभी महाविद्यालय प्राप्त रोवर्स/रेंजर्स शुल्क का महाविद्यालय अंश (₹ 20.00) से महाविद्यालय स्तर पर रोवर/रेंजर्स के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेंगे। प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षक 30प्र0 भारत स्काउट एवं गाइड, बलिया उपलब्ध कराता है। किसी भी स्थिति में अनाधिकृत प्रशिक्षक से प्रशिक्षण नहीं कराये। प्रशिक्षण अवधि के लिये प्रशिक्षक को किसी भी प्रकार के मानदेय का भुगतान नहीं करना है। मानदेय का भुगतान 30प्र0 भारत स्काउट/गाइड संस्था, बलिया करेंगी। अतः संस्था से अधिकृत प्रशिक्षक से ही प्रशिक्षण कराये।

3. रोवर्स/रेंजर्स दल न्यूनतम पाँच दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त प्रथम वर्ष प्रति रोवर्स/रेंजर्स प्रवेश प्रमाण-पत्र शुल्क के रूप में ₹ 60.00 संस्था में जमा करेंगे। जिन रोवर्स/रेंजर्स को प्रवेश प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है, उन्हें एक बार के अंतराल के पश्चात् निपुण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। निपुण हेतु निर्धारित शुल्क ₹ 150.00 है। किसी भी स्थिति में इससे अधिक शुल्क छात्र/छात्राओं से न लिया जाय। जितने रोवर्स/रेंजर्स का शुल्क प्रमाण-पत्र के लिये संस्था में जमा किया जायेगा, उतने प्रमाण-पत्र संस्था के द्वारा

महाविद्यालय को उपलब्ध करा दिये जायेंगे। संस्था से निर्गत प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालयीय समन्वयक द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये।

4. बैठक में बी०एड० महाविद्यालयों में प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन पर विशेष रूप से चिंता व्यक्त की गयी। वर्तमान में 36 बी०एड० महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। बी०एड० में स्काउटिंग अनिवार्य पाठ्यक्रम है। अतः इसे पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है। संस्था के द्वारा माननीय कुलपति जी को अवगत कराया गया कि सत्र 2018-19 में मात्र 09 महाविद्यालयों में प्रशिक्षण कराया गया जबकि सभी महाविद्यालयों ने प्रशिक्षण कराये जाने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित की है। माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार निर्णय किया गया कि वर्तमान सत्र में प्रथमतः सभी बी०एड० महाविद्यालय अनिवार्य रूप से संस्था के साथ पंजीकरण/नवीनीकरण करा लें। तत्पश्चात् प्रशिक्षण शिविर आयोजन की लिखित सूचना विश्वविद्यालय एवं उ०प्र० भारत स्काउट/गाइड संस्था, बलिया को उपलब्ध कराये तथा संस्था से प्रशिक्षक प्राप्त कर प्रशिक्षण कराये। ध्यातव्य है कि स्काउट एवं गाइड बी०एड० चतुर्थ सेमेस्टर में पाठ्यक्रम का अंग है। किसी भी स्थिति में अनधिकृत प्रशिक्षक से प्रशिक्षण न कराये। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षक प्रशिक्षण में भाग लेने वाले रोवर्स/रैजर्स की सूची इस प्रमाण-पत्र के साथ संस्था को उपलब्ध करायेगी कि सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। महाविद्यालय इसकी लिखित सूचना समन्वयक, रोवर्स/रैजर्स को उपलब्ध करायेगी। जो महाविद्यालय निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेंगे, उनका पाठ्यक्रम अपूर्ण माना जायेगा तथा आगामी परीक्षा हेतु उनका प्रवेश-पत्र प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।

5. बी०ए० प्रशिक्षण के आधार पर प्रतिभागियों के प्रमाण-पत्र के लिये निर्धारित शुल्क प्रति प्रतिभागी ₹ 250.00 (प्रदेश अंश ₹ 150.00 एवं जिला अंश ₹ 100.00) है। किसी भी स्थिति में प्रतिभागियों से इससे अधिक शुल्क न लिया जाय। प्रशिक्षण अवधि के लिये प्रशिक्षक को महाविद्यालय द्वारा मानदेय का भुगतान नहीं किया जाना है। प्रशिक्षक अपना मानदेय संस्था से प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण शिविर हेतु निर्धारित शुल्क अनिवार्यतः संस्था में जमा किया जाय तथा उसकी रसीद प्राप्त कर ली जाय। महाविद्यालय जितने प्रतिभागियों का शुल्क जमा करेगा, उसे उतने ही प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रमाण-पत्र को विश्वविद्यालय समन्वयक से प्रति-हस्ताक्षरित कराना संस्था के सचिव की जिम्मेदारी होगी। समन्वयक के प्रति हस्ताक्षर के बिना निर्गत प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

6. उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड, लखनऊ द्वारा निर्धारित शुल्कों का विवरण निम्नवत् है -

1. पंजीकरण शुल्क (प्रथम बार = ₹ 780.00)
(प्रदेश अंश = ₹ 629.00 एवं जिला अंश = ₹ 151.00)
2. नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष) = ₹ 730.00
(प्रदेश अंश = ₹ 604.00 एवं जिला अंश = ₹ 126.00)
3. प्रवेश रोवर/रैजर्स = ₹ 60.00 (जिला अंश)

09/12

✓

4. निपुण रोवर/रैंजर्स = ₹0 150.00
(प्रदेश अंश = ₹0 100.00 एवं जिला अंश = ₹0 50.00)


5. बी0ए0 प्रशिक्षण शिविर = ₹0 250.00
(प्रदेश अंश = ₹0 150.00 एवं जिला अंश = ₹0 100.00)


■ विभिन्न मदों में निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा।

■ शिविरों में नियुक्त स्टाफ को निर्धारित मानदेय का भुगतान शिविर से प्राप्त जिला अंश में से जिला संस्था द्वारा किया जायेगा।

7. प्रशिक्षण शिविरों हेतु प्रशिक्षकों की सूची उनकी योग्यता के साथ यथाशीघ्र संस्था से प्राप्त कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रोवर्स/रैंजर्स वाट्सअप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी। किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में निम्नलिखित मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है -


- | | | |
|--|---|------------|
| 1. डॉ0 अशोक कुमार सिंह, समन्वयक | - | 9415384842 |
| 2. श्री हीरा लाल यादव , ए0एस0ओ0सी0 आजमगढ़ | - | 9415162724 |
| 3. डॉ0 शैलजा राय, मुख्यायुक्त, बलिया | - | 9415863100 |
| 4. डॉ0 अखिलेश राय, जिला कमिश्नर, स्काउट | - | 9415248152 |
| 5. डॉ0 निशा राघव, जिला मुख्यालय आयुक्त | - | 9415657035 |
| 6. श्री राजेश कुमार सिंह, जिला सचिव, बलिया | - | 9454761295 |
| 7. श्री बृजेश प्रसाद गुप्ता, समन्वयक प्रतिनिधि | - | 9721738183 |



समन्वयक
रोवर्स/रैंजर्स


कुलसचिव
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
3. ए0एस0ओ0सी0, आजमगढ़।
4. मुख्यायुक्त, उ0प्र0, भारत स्काउट एवं गाइड, बलिया
5. उपकुलसचिव महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कार्यवृत्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालयों के लाग-इन पर अपलोड करने का कष्ट करे।


समन्वयक
रोवर्स/रैंजर्स


कुलसचिव
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया